निगरानी / एलआर/ 3313/ 2005/ जयपुर
श्योजी वगैरह बनाम रामकरण वगैरह

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री मुकेश जैन अभिभाषक प्रार्थीगण । श्री योगेन्द्रसिंह, अभिभाषक अप्रार्थीगण **आदेश** हस्तगत् निगरानी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम,1956 की धारा–84 भू राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत विद्वान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा दिनांक 30–5–05 में पारित निर्णय के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। निगरानी प्रार्थना पत्र अनुसार संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुण्डली तहसील फागी में रामजीवन के नाम खाता सं. 115 में रकबा 88–15–00 बीधा में से 1/2 का 17/18वां भाग, खाता सं. 139 रकबा 15–12–00 बीधा में 1/4 भाग, खाता सं. 194 रकबा 5–2–00 में से 1/12 भाग, खाता सं. 195 रकबा 4–16–00 बीधा में से 1/6 भाग था। रामजीवन ने प्रार्थीगण के पक्ष में जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 2–8–96 को निष्पादित की। प्रार्थी रामजीवन का सगा भाई था। रामजीवन की मृत्यु होने पर प्रार्थीगण के पक्ष में नामांतरकरण सं. 520 दिनांक 8–10–99 ग्राम पंचायत मंडावरी के द्वारा तस्दीक किया गया। उक्त नामांतरकरण के विरूद्ध अप्रार्थी ने अपील उपखंड अधिकारी फागी के न्यायालय में पेश की, जिसे उपखंड अधिकारी ने उक्त अपील की सुनवाई पूर्व में चल रहे मूल वाद सं. 64/01 के निस्तारण तक स्थगित रखने के आदेश पारित कर दिये। उपखंड अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थी ने द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत की जिसे अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–5–2005 द्वारा स्वीकार कर प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित कर दिया। जिससे व्यथित होकर यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र में उद्धरित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कहा कि प्रार्थी के पक्ष में रामजीवन ने रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित की थी जिसे उसे करने का पूरा हक व अधिकार था जिसके आधार पर ग्राम पंचायत ने विधिवत् रूप से नामांतरकरण तस्दीक किया था। उपखंड अधिकारी ने मात्र वाद के लम्बित रहते अपील की सुनवाई स्थगित की थी। अति0 संभागीय आयुक्त ने प्रकरण मेरिट पर अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णित कर दिया तथा ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक नामांतरकरण निरस्त कर दिया। जबकि उनके समक्ष मात्र यह बिन्दु तय करना था कि उपखंड अधिकारी का आदेश सही है अथवा नहीं। उपखंड अधिकारी ने मूल वाद के निस्तारण होने तक नामांतरकरण की समरी कार्यवाहीं को स्थगित किया था क्योंकि नियमित वाद में हक व अधिकार तय होने है, नामांतरकरण की समरी कार्यवाहीं में नहीं। वसीयत के सबंध में हक व अधिकार मूल वाद में तय होने है ऐसी स्थिति में तहसीलदार के पास जांच करने का कोई अधिकार शेष नहीं रहता। नामांतरकरण की कार्यवाही फिसकल कार्यवाहीं है जिसके आधार पर स्वत्व का निर्धारण नहीं होता। उपखंड अधिकारी द्वारा मात्र समरी कार्यवाहीं को स्थगित किया है किंतु अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने उक्त समस्त तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों को नजरअदांज करते हुये स्वीकार कर उपखंड अधिकारी का निर्णय मनमाने तरीके से निरस्त कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि रामजीवन द्वारा वसीयत दौराने वाद की गई है तथा दोराने वाद की गई वसीयत के आधार पर वसीयत की प्रमाणिकता की जांच किये बिना विवादित नामांतरकरण स्वीकृत करने का अधिकार ग्राम पंचायत को नहीं है। वाद में स्थगन आदेश प्रभावी था। ऐसी स्थिति में विवादित आराजी जरिये वसीयत हस्तांतरण नहीं हो सकती थी। उक्त समस्त तथ्यों को उपखंड अधिकारी ने नजरअदांज किया था ऐसी स्थिति में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ने उपखंड	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	अधिकारी का निर्णय निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की है। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय की बहस पर मनन किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णयों का गहनता से अवलोकन व अध्ययन किया। उपखंड अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 15–11–02 द्वारा विवादित भूमि के सबंध में वाद इस न्यायालय में वाद घोषणा का मुकदमा नंबर 64/2001 विचाराधीन होना मानते हुये विचारणीय अपील नांमांतरकण सं. 520 दिनांक 8–10–99 ग्राम पंचायत माण्डावरी तहसील फागी की सुनवाई मुकदमा नंबर 64/2001 के निस्तारण तक स्थगित की है जिसकी अपील अति0 संभागीय आयुक्त जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30–5–05 द्वारा स्वीकार कर उपखंड अधिकारी फागी का आदेश दिनांक 15–11–02 एवं ग्राम पंचायत मण्डावरी के आदेश दिनांक 8–10–99 को निरस्त किया है तथा प्रकरण उभय पक्ष को सुनकर वसीयत की जांच कर नये सिरे से निर्णय करने हेतु तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है। विद्वान उपखंड अधिकारी द्वारा पारित आलोच्य आदेश का प्रमुख आधार यह है कि पक्षकारान के मध्य नियमित वाद लम्बित है, जिसमें उनके अधिकारों का अंतिम विनिश्चयन होना है तथा उनके समक्ष लम्बित नामांतरकरण की कार्यवाहीं को मूल वाद के निस्तारण तक स्थगित किया है। हमारे समक्ष बहस के दौरान भी दोनों ही विद्वान अभिभाषकगण ने इस तथ्य से इंकार नहीं किया है कि वादग्रस्त भूमि में हक–हकूक तय कराने के लिये पक्षकारान के मध्य नियमित वाद विचाराधीन है। विचाराधीन वाद का निर्णय होने पर ही पक्षकारान के हक हकूक का अंतिम रूप से विनिश्चयन होगा। हम उपखंड अधिकारी द्वारा पारित इस निष्कर्ष से सहमत है। नामांतरकरण की कार्यवाही एक वित्तीय कार्यवाहीं है जिसके द्वारा लगान, चुकारे के दायित्वों का ही निर्धारण होता है। जिसमें पक्षकारों के हितों एवं स्वत्व का निर्धारण नहीं किया जा सकता है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में गोदनामे व वसीयत जैसे जटिल मुद्दो की जांच अपेक्षित नहीं है। नामांतरकरण की प्रक्रिया के माध्यम से 28 वर्ष पूर्व राजस्व रिकोर्ड में दर्ज प्रविष्टियों का विलोपन/संशोधन नहीं किया जा सकता है। नामांतरकरण की संक्षिप्त कार्यवाहीं से पक्षकारों के मध्य हक एवं अधिकार का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने महिला बजरंगी विरूद्ध बोदरी बाई 2003(2) डीएनजे एससी पेज 346 में यह माना है कि :– "That mutation proceedings before Revenue Authorities are not judicial proceedings in any court of law and does not decide question of title to immovable property." माननीय उच्च न्यायालय में जेठू सिंह विरूद्ध भंवरसिंह 2003(3) डीएनजे राज0 पेज 1143 में यह अभिनिर्धारित किया है कि :– "Thus in view of the above law of the subject can be summarised that fiscal entries like mutation do not represent or create any title or interest in the property nor the complicated issue of succession, either by way of will or adoption can be settled in mutation proceedings and the parties have to approach the appropriate forum for adjudication of title." नामांतरकरण की कार्यवाहीं फिसकल प्रोसीडिंग्स है जिसमें किसी भी व्यक्ति के राईट टाईटल का निर्णय नहीं किया जाता है। वसीयत असली है या नहीं, यह जांच का विषय है, जिसे नामांतरकरण के दौरान नहीं देखा जा सकता। नामांतरकरण पदाधिकारी, नामांतरकरण के विषय में केवल सरसरी रूप से जांच करता है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2003(1) आरआरटी पेज 647 में यह भी निर्धारित किया है :– "It is relevant to mention here that entire exercise in this matter is outcome of mutation proceedings by which the only	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	entries in revenue records are made. Admittedly, this is fiscal proceeding. There appears no justification to make changes in revenue record during the pendency of suit, where only rights of the parties can be determined and consequential entries can be made according to the decision of the competent Court in suit." उपरोक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह सुविचारित मत है कि अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30–5–05 से अप्रार्थीगण की द्वितीय अपील स्वीकार करने में विधिक एवं तथ्यपरक त्रुटि कारित की गई है, जिसका समर्थन नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत निगरानी स्वीकार किये जाने और अतिरिक्त संभागीय आयुक्त का निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर हस्तगत् निगरानी स्वीकार की जाकर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर का निर्णय दिनांक 30–5–05 निरस्त किया जाता है तथा उपखंड अधिकारी फागी का निर्णय दिनांक 15–11–02 बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावे। पत्रावली बाद फैसल शुमार, नंबर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(आर.के.जायसवाल)** **सदस्य**	